संख्या– 335 / 26–ब0प्र0–2010–100(3) / 2010

प्रेषक,

भवनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ   लखनऊः: दिनांकः: 22 अप्रैल 2010

विषय :– डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 के लिये सी0सी0 रोड एवं पक्की नाली निर्माण हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपके पत्रांक 5शा / 739 / 10–5 / 46 / 2010 दिनांक 30.03.2010 व वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951 / दस–2010– 231 / 2010, दिनांक 26–3–2010 एवं डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग के शासनादेश संख्या–706 / डा0अ0ग्रा0स0वि0वि0 / 2010, दिनांक 16.02.2010 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 124200.00 लाख में से कालम 9 में अंकित धनराशि के अनुसार कुल रू0 59395.78 लाख (रू0 पॉच अरब तिरानबे करोड़ पन्चानबे लाख अठहत्तर हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन, जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार, श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951 / दस–2010–231 / 10, दिनांक 26–3–2009 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबंधित जिलाधिकारियों को आवंटित की जायेगी, जो इसे आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे। संबंधित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपाजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल. पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष " 1054–सड़क तथा सेतु–800–अन्य प्राप्तियॉ–05–अधिष्ठान व्यय की प्राप्तियॉ " एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा लेखा शीर्ष " 0515–अन्य ग्राम विकास कार्यकम–800–अन्य प्राप्तियॉ–04–अधिष्ठान व्यय की प्राप्तियॉ " के अर्न्तगत राजकोष में चालान से जमा किया जाय।

(3) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलो में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहो तथा अन्य स्थायी आदेशो के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलो में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–83 के लेखाशीर्षक "4515–अन्य ग्राम विकास कार्यकमों पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत –789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–98–

अम्बेडकर ग्राम विकास योजना –9801–सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण–48–पूंजीगत व्यय के लिये सहायक अनुदान" के नामें डाला जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिये निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशो के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) सी0सी0 रोड एवं पक्की नाली का निर्माण के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) शासकीय व्यय में मितब्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितब्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007, दिनांक 2–9–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(8) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशो द्वारा विनियमित होगी।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–ई–3– 848/14 2010 दिनांक 21-4-2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक :–यथोक्त

भवदीय,

(भवनाथ)
विशेष सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग उ0प्र0 शासन।
3– जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी लखनऊ।
4– कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ/कलेक्ट्रेट लखनऊ।
5– मुख्य अधिकारी जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
6– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत लखनऊ।
7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2
8– वित्त (आय व्ययक) अनुभाग–1/2

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
अनु सचिव

शासनादेश सं. 335/26 पं-5-2010-100(3)/10 दि॰ 22 अप्रैल-2010 का संलग्नक

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।

डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन निर्माण हेतु आवंटन का प्रस्ताव-

अनुदान सख्या-83

(धनराशि लाख रूपयें में)

क.सं.	जनपद	सी0सी0 रोड हेतु चयनित ग्रामों की संख्या	स्तम्भ-3 के ग्रामों हेतु रूपये 50 लाख की दर से कुल आवश्यकता (कार्यांश)	अधिष्ठान व्यय का अंश (4का 6.875 %)	कुल लागत (4+5)	प्रथम किश्त के आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि (कार्यांश)	अधिष्ठान व्यय (7 का 6.875 %)	आवंटन हेतु प्रस्तावित कुल धनराशि (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8*	9
1	मेरठ	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400,78
2	बागपत	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
3	गाजियाबाद	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
4	गौतमबुद्धनगर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
5	बुलन्दशहर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
6	सहारनपुर	39	1950.00	134.06	2084.06	975.00	67.03	1042.03
7	मुजफ्फर नगर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
8	आगरा	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
9	अलीगढ़	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
10	महामाया नगर	16	800.00	55.00	855.00	400.00	27.50	427.50
11	एटा	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
12	मैनपुरी	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
13	मथुरा	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
14	फिरोजाबाद	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
15	कॉशीराम नगर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78

क.सं.	जनपद	सी0सी0 रोड हेतु चयनित ग्रामों की संख्या	स्तम्भ-3 के ग्रामों हेतु रूपये 50 लाख की दर से कुल आवश्यकता (कार्यांश)	अधिष्ठान व्यय का अंश (4का 6.875 %)	कुल लागत (4+5)	प्रथम किश्त के आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि (कार्यांश)	अधिष्ठान व्यय (7 का 6.875 %)	आवंटन हेतु प्रस्तावित कुल धनराशि (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8*	9
16	बरेली	17	850.00	58.44	908.44	425.00	29.22	454.22
17	बदाँयू	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
18	पीलीभीत	16	800.00	55.00	855.00	400.00	27.50	427.50
19	शाहजहाँपुर	44	2200.00	151.25	2351.25	1100.00	75.63	1175.63
20	मुरादाबाद	31	1550.00	106.56	1656.56	775.00	53.28	828.28
21	ज्योतिबा फूले नगर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
22	रामपुर	20	1000.00	68.75	1068.75	500.00	34.38	534.38
23	बिजनौर	75	3750.00	257.81	4007.81	1875.00	128.91	2003.91
24	लखनऊ	54	2700.00	185.63	2885.63	1350.00	92.81	1442.81
25	रायबरेली	43	2150.00	147.81	2297.81	1075.00	73.91	1148.91
26	हरदोई	106	5300.00	364.38	5664.38	2650.00	182.19	2832.19
27	उन्नाव	75	3750.00	257.81	4007.81	1875.00	128.91	2003.91
28	सीतापुर	116	5800.00	398.75	6198.75	2900.00	199.38	3099.38
29	लखीमपुर खीरी	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
30	फैजाबाद	20	1000.00	68.75	1068.75	500.00	34.38	534.38
31	अम्बेडकर नगर	41	2050.00	140.94	2190.94	1025.00	70.47	1095.47
32	सुलतानपुर	33	1650.00	113.44	1763.44	825.00	56.72	881.72
33	बाराबंकी	58	2900.00	199.38	3099.38	1450.00	99.69	1549.69
34	गोण्डा	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
35	बलरामपुर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78

एवं ग्राम
किया

क.सं.	जनपद	सी0सी0 रोड हेतु चयनित ग्रामों की संख्या	स्तम्भ-3 के ग्रामों हेतु रूपये 50 लाख की दर से कुल आवश्यकता (कार्यांश)	अधिष्ठान व्यय का अंश (4का 6.875 %)	कुल लागत (4+5)	प्रथम किश्त के आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि (कार्यांश)	अधिष्ठान व्यय (7 का 6.875 %)	आवंटन हेतु प्रस्तावित कुल धनराशि (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8*	9
36	बहराईच	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
37	श्रावस्ती	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
38	इलाहाबाद	38	1900.00	130.63	2030.63	950.00	65.31	1015.31
39	कौशाम्बी	32	1600.00	110.00	1710.00	800.00	55.00	855.00
40	फतेहपुर	21	1050.00	72.21	1122.21	525.00	36.09	561.09
41	प्रतापगढ़	24	1200.00	82.50	1282.50	600.00	41.25	641.25
42	वाराणसी	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
43	चन्दौली	23	1150.00	79.06	1229.06	575.00	39.53	614.53
44	गाजीपुर	56	2800.00	192.50	2992.50	1400.00	96.25	1496.25
45	जौनपुर	75	3750.00	257.81	4007.81	1875.00	128.91	2003.91
46	मिर्जापुर	88	4400.00	302.50	4702.50	2200.00	151.25	2351.25
47	सोनभद्र	128	6400.00	440.00	6840.00	3200.00	220.00	3420.00
48	संतरविदास नगर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
49	हमीरपुर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
50	बाँदा	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
51	चित्रकूट	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
52	महोबा	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
53	गोरखपुर	90	4500.00	309.38	4809.38	2250.00	154.69	2404.69
54	महाराजगंज	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
55	देवरिया	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78

क्र.सं.	जनपद	सी0सी0 रोड हेतु चयनित ग्रामों की संख्या	स्तम्भ-3 के ग्रामों हेतु रूपये 50 लाख की दर से कुल आवश्यकता (कार्यांश)	अधिष्ठान व्यय का अंश (4का 6.875 %)	कुल लागत (4+5)	प्रथम किश्त के आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि (कार्यांश)	अधिष्ठान व्यय (7 का 6.875 %)	आवंटन हेतु प्रस्तावित कुल धनराशि (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	बरेली	17	850.00	58.44	908.44	425.00	29.22	454.22
17	बदॉयू	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
18	पीलीभीत	16	800.00	55.00	855.00	400.00	27.50	427.50
19	शाहजहाँपुर	44	2200.00	151.25	2351.25	1100.00	75.63	1175.63
20	मुरादाबाद	31	1550.00	106.56	1656.56	775.00	53.28	828.28
21	ज्योतिबा फूले नगर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
22	रामपुर	20	1000.00	68.75	1068.75	500.00	34.38	534.38
23	बिजनौर	75	3750.00	257.81	4007.81	1875.00	128.91	2003.91
24	लखनऊ	54	2700.00	185.63	2885.63	1350.00	92.81	1442.81
25	रायबरेली	43	2150.00	147.81	2297.81	1075.00	73.91	1148.91
26	हरदोई	106	5300.00	364.38	5664.38	2650.00	182.19	2832.19
27	उन्नाव	75	3750.00	257.81	4007.81	1875.00	128.91	2003.91
28	सीतापुर	116	5800.00	398.75	6198.75	2900.00	199.38	3099.38
29	लखीमपुर खीरी	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
30	फैजाबाद	20	1000.00	68.75	1068.75	500.00	34.38	534.38
31	अम्बेडकर नगर	41	2050.00	140.94	2190.94	1025.00	70.47	1095.47
32	सुलतानपुर	33	1650.00	113.44	1763.44	825.00	56.72	881.72
33	बाराबंकी	58	2900.00	199.38	3099.38	1450.00	99.69	1549.69
34	गोण्डा	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
35	बलरामपुर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78

एवं ग्रामें
किया उ

क्र.सं.	जनपद	सी0सी0 रोड हेतु चयनित ग्रामों की संख्या	स्तम्भ-3 के ग्रामों हेतु रूपये 50 लाख की दर से कुल आवश्यकता (कार्यांश)	अधिष्ठान व्यय का अंश (4का 6.875 %)	कुल लागत (4+5)	प्रथम किश्त के आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि (कार्यांश)	अधिष्ठान व्यय (7 का 6.875 %)	आवंटन हेतु प्रस्तावित कुल धनराशि (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8*	9
56	कुशीनगर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
57	बस्ती	39	1950.00	134.06	2084.06	975.00	67.03	1042.03
58	संतकबीर नगर	25	1250.00	85.94	1335.94	625.00	42.97	667.97
59	सिद्धार्थ नगर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
60	आजमगढ	135	6750.00	464.06	7214.06	3375.00	232.05	3607.05
61	मऊ	30	1500.00	103.13	1603.13	750.00	51.56	801.56
62	बलिया	16	800.00	55.00	855.00	400.00	27.50	427.50
63	कानपुर नगर	16	800.00	55.00	855.00	400.00	27.50	427.50
64	कानपुर देहात	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
65	फर्रूखाबाद	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
66	कन्नौज	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
67	इटावा	21	1050.00	72.21	1122.21	525.00	36.09	561.09
68	औरैया	21	1050.00	72.21	1122.21	525.00	36.09	561.09
69	झाँसी	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
70	ललितपुर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
71	जालौन	16	800.00	55.00	855.00	400.00	27.50	427.50
	कुल योग-	2223	111150.00	7641.56	118791.56	55575.00	3820.78	59395.78

* अधिष्ठान व्यय को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखाशीर्षक 1054–सड़क तथा सेतु–800–अन्य प्राप्तियाँ–05–अधिष्ठान व्यय की प्राप्तियों एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा लेखाशीर्षक 0515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य प्रात्यिाँ –04–अधिष्ठान व्यय की प्राप्तियों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाए।

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव